न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर 26/2017 | तारीख रजू 03.07.2017 | तारीख निर्णय 22.5.2026

1. श्रीलाल पुत्र बुद्धा, माली निवासी गंगाजी की कोठी तह0 गंगापुर सिटी
2. रामप्यारी पुत्री बुद्धा, माली निवासी गंगाजी की कोठी तह0 गंगापुर सिटी
3. राजबाई पुत्री बुद्धा, माली निवासी गंगाजी की कोठी तह0 गंगापुर सिटी

—प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रेम पुत्र मंगल, माली निवासी गंगाजी की कोठी तह0 गंगापुर सिटी
2. बाबू पुत्र मंगल, माली निवासी गंगाजी की कोठी तह0 गंगापुर सिटी
3. रमेश पुत्र मंगल, माली निवासी गंगाजी की कोठी तह0 गंगापुर सिटी
4. रूमाली पत्नी बाबू, माली निवासी गंगाजी की कोठी तह0 गंगापुर सिटी
5. गंगा पत्नी प्रेम, माली निवासी गंगाजी की कोठी तह0 गंगापुर सिटी
6. मंगली पत्नी रमेश, माली निवासी गंगाजी की कोठी तह0 गंगापुर सिटी
7. जीतू पुत्र प्रेम, माली निवासी गंगाजी की कोठी तह0 गंगापुर सिटी
8. पिन्टू पुत्र बाबू, माली निवासी गंगाजी की कोठी तह0 गंगापुर सिटी
9. हरकेश पुत्र बाबू, माली निवासी गंगाजी की कोठी तह0 गंगापुर सिटी
10. रामकेश पुत्र बाबू, माली निवासी गंगाजी की कोठी तह0 गंगापुर सिटी
11. धर्मेन्द्र पुत्र बाबू, माली निवासी गंगाजी की कोठी तह0 गंगापुर सिटी
12. मुन्शी पुत्र रमेश, माली निवासी गंगाजी की कोठी तह0 गंगापुर सिटी
13. तुलसी पुत्र रमेश, माली निवासी गंगाजी की कोठी तह0 गंगापुर सिटी

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

उपस्थित :—श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री भानु कुमार सिंहल, एड., अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0न0 12 रकबा 1.28 है0, ख0न0 169/14 रकबा 0.42 है0,ग्राम बाढ छाबा नम्बर 2 तहसील गंगापुर सिटी मे स्थित है। जो प्रार्थीगण कीखातेदारी एवं कब्जे की भूमि है। अप्रार्थीगण का इस भूमि से कोई वास्ता व ताल्लुक नही है। वे जबरन इस भूमि को प्रार्थीगण से छीन कर इस पर नाजायज कब्जा करना चाहते है। दिनांक 29.6.2017 को सुबह करीब 8.00 बजे प्रार्थीगण जब अपनी भूमि ख0न0 12 रकबा 1.28 है0 पर काश्त करने गये तो अप्रार्थीगण हाथों मे लाठियॉ लेकर वहॉ आ गये एवं कहने लगे कि वे भूमि

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

पर जबरन कब्जा करेंगे तथा सायल को काश्त नही करने देंगे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि ख0न0 12 रकबा 1.28 है0, ग्राम बाढ छाबा नम्बर 2 की कब्जे काश्त, उपभोग उपयोग मे प्रार्थीगण मजाहमत नही करे, प्रार्थीगण को बेदखल नही करे, भूमि पर नाजायज कब्जा नही करे ना ही किसी अन्य से करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थीगण ने अपने जबाब में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण का कोई वास्ता नही है एवं भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की नही है बल्कि भूमि पर 30 साल से अधिक समय से अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त अपने बुजुर्गो के समय से चला आ रहा है केवल राजस्व अभिलेख प्रार्थीगण का नाम गलत तरीके दर्ज होने के कारण भूमि की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। दिनांक 29.6.2017 को प्रार्थीगण भूमि ख0न0 12 पर नही गये और ना ही जाने का कोई प्रश्न पैदा होता है। प्रार्थीगणने गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबाब के विशेष विवरण मे अप्रार्थीगण ने अंकित किया है कि प्रार्थीगण ने दावा स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है जबकि उनका पिछले 30 साल से भी अधिक समय से कोई कब्जा काश्त ही नही है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि विदाउट पजेशन नो इन्जेन्शन इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज होने योग्य है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सम्बत् 2070 से 2073, फोटोकॉपी नकल नक्शा ट्रेस, फोटोकॉपी आदेश दिनांक 30.4.2025 माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर, फोटोकॉपी नकल निर्णय दिनांक 22.12.2025 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी एवं फोटोकॉपी नकल निर्णय दिनांक 26.11.2024 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 गंगापुर सिटी प्रस्तुत किये है।

अप्रार्थीगण की ओर से जबाब के समर्थन में शपथ पत्र राधेश्याम पुत्र कल्याण गुर्जर निवासी खानपुर बडौदा, भैरो पुत्र लोहडे माली निवासी गंगाजी की कोठी, हरिमोहन गुर्जर पुत्र रामसिंह गुर्जर निवासी खानपुर बडौदा प्रस्तुत किये गये है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का एवं दिनांक 03.07.2017 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक पुष्ट करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही है। इसलिए कब्जे के अभाव मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा चलने योग्य नही है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2070–73 के अनुसार भूमि ख0न0 12 रकबा 1.28 है0 ग्राम बाढछाबा नम्बर 2 प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है। इस भूमि के सम्बन्ध मे अप्रार्थीगण द्वारा नामान्तकरण संख्या 724 दिनांक 30.1. 2019 के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी मे प्रस्तुत अपील दिनांक 22.12.2025 को खारिज कर दी गई है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण प्रेम बाबूलाल व रमेश द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी मे प्रस्तुत वाद संख्या 21/21 (31/2013) दिनांक 26.11.2024 को खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे अप्रार्थीगण द्वारा विभिन्न न्यायालयों मे प्रस्तुत प्रकरण खारिज हो चुके है तथा अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है। जिससे प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है। फलस्वरूप प्रार्थीगण का टी.आई. प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 3. 7.2017 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म करते हुए अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निर्णय होने तक भूमि ख0न0 12 रकबा 1.28 है0,ग्राम बाढ छाबा नम्बर 2 तहसील गंगापुर सिटी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे प्रार्थीगण को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 22.5.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)